

प्रेस रिलीज़

17 जनवरी 2020

नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंसा पर न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया पीआईएल

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करते हुए, यूपी के अंदर सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान और बाद में पुलिस के द्वारा हिंसा बरते जाने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की गई है। यह याचिका संगठन की ओर से यूपी प्रदेश की एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहम्मद शहज़ाद द्वारा दाखिल की गई है।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ दूसरे राज्यों में हुए पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के विपरीत, यूपी पुलिस ने गैरक़ानूनी गिरफ्तारियों, हिरासत में प्रताड़ना, मनमाने तरीके से तोड़फोड़, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने जैसी हर तरह की ज़्यादती से काम लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस की फायरिंग से कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीडियो फुटेज और फ़ैक्ट-फाइंडिंग की रिपोर्टों से उनकी पोल खुलने के बाद भी, योगी सरकार लगातार कार्यकर्ताओं को नए-नए मुकदमों में फंसाकर और मीडिया के एक वर्ग की मदद से झूठी कहानियां फैलाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है।

यह याचिका सुनवाई के लिए आज अदालत में पेश हुई। अदालत ने इसी मुद्दे पर दायर की गई दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए इसे कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है।

डॉ मोहम्मद शमून

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली